APP-A
Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त	**मुकाम**	**कोटा**
प्रभूलाल आत्मज किशन, सागरसिंह आ0 कजोडीलाल जाति ढीमर नि0 ग्राम चौकी तहसील छबडा जिला बांरा।		**बनाम**	1.बलराम आ0 नारायण, 2मानसिंह (मृतक) कायम मुकामान–2/1–किशोरीलाल उर्फ पप्पू आ0 मानसिंह, शांतिबाई वगेरा जाति ढीमर नि0ग्राम चौकी तह0छबडा जिला बांरा।
किस्म मुकदमा	अपील धारा 76 एलआरएक्ट	**केस नं015**	**2018**

जिला–बांरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.1.2018	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री भारतसिंह अडसेला के अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम मे अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा द्वारा अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 45 वाकै ग्राम चोकी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील मे पारित निर्णय दिनांक 18.7.2017 की अप्रसन्नता से इस न्यायालय मे पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण मे सारवान व कानूनी तथ्य निहित होना प्रकट होने से विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एडमिशन की स्टेज पर ही बहस अंतिम सुनी गई। प्रकरण न्यायालय के श्रृवणाधिकार योग्य होने सेः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विनिश्चय किये बिना प्रा0 पत्र को नजरअदांज कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णय दिनांक 18.9.2017 से बैरून मियाद मानकर खारिज किया है। हुक्म जेरअपील अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया जिसकी जानकारी 13.10.2017 को होने पर यह द्वितीय अपील पेश की गई। अतः डिले कन्डोन कर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने हेतु रिमांड किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट सरिस्ता लिये तथा अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विनिश्चिय किये बिना जेरअपील आदेश/निर्णय 18.9.2017 पारित कर विधिक त्रुटि की है। उक्त निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरित है। अतः प्रथम अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे। प्रस्तुत अपील व दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम अपील मिमो व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से अपीलांट द्वारा अपील मे वर्णित तथा बहस मे कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामा0 सं0 45 वाकै ग्राम चौकी के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पर बिना रिपोर्ट सरिस्ता लिये तथा अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का विनिश्चिय किये बिना प्रथम अपील को मियाद बाहर मानते हुये जेरअपील निर्णय/आदेश 18.9.2017 से खारिज करने मे विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे इसी स्टेज पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय 18.9.2017 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। आदेशिका की एक प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (प्रियंका गोस्वामी) अति0 संभागीय आयुक्त कोटा	